Mary de de ele-



विहार गजर

बसाधारण यंक

न्या दरभार प्रया प्रवाधिक

16 चैंत्र 1901 (श0)

(सं0 पटना 357)

पटना, शुक्रवार, 6 म्रप्रील 1979

विहार विधान-सभा सचिवालय

ग्रधिसूचना ।

4 प्रप्रील 1979

वि 0स 0 पुस्त 0 33177, संख्या 107--विहार विधान-मंडल के माननीय सदस्यों पदाधिकारियों एवं स्थायी कर्मचारियों के सूचनार्थ विहार विधान-मंडल पुस्तकालय की संशोधित नियमावली अधिसूचित की जाती हैं।

> ग्रध्यक्ष महोदय के ग्रादेश से, श्यामदेव द्विवेदी, ग्रवर-सचिव, विहार विधान-मंडल पुस्तकालय, पटना।

बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय नियम।वली

- 1. (क) यह पुस्तकालय विहार विधान-परिषद् तथा विहार विधान-सभा के सदस्यों और दोनों सदनों के राजपितित पदाधिकारियों तथा स्थायी कर्मचारियों के लिये हैं। सिचव की अनुमित से विहार विधान-मंडल के प्रेस दीर्घा में प्रवेश की अनुमित पाये हुए मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाताध्रों के लिए, उनके नियोजकों द्वारा दी गई गारंटी के बाद प्रन्थालय की सुविधाध्रों की व्यवस्था की जा सकती हैं।
- (ख) बिहार विधान-मंडल के भूतपूर्व सदस्य बिहार विधान-सभा की लेखा शाखा में 100-00 (एक सौ रुपये) जमा कर ग्रन्थालय स दो पुस्तकों ले सकते हैं किन्तु एक सौ रुपये से ग्रधिक राशि की पुस्तकों नहीं दी जायेगी।
 - 2. जबतक प्रसंग या विषय से कोई दूसरा भाव इस नियमावली में न निकले
- (क) ''सदस्य का तात्पर्य विहार विधान-परिषद् या बिहार विधान-सभा के किसी सदस्य से हैं,

(ख) "सचिव" का तात्पर्य विहार विधान-परिषद् या विहार विधान-सभा के

सचिव अथवा इनके स्थान पर काम करनेवाले व्यक्तियों से हैं,

(ग) ग्रगर सचिव, पुस्तकालय एवं ग्रधीक्षक पुस्तकालय तथा शोध सन्दर्भ से तात्पर्य बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय के लिये नियुक्त ग्रवर सचिव या ग्रधीक्षक पुस्तकालय तथा शोध सन्दर्भ से हैं ग्रथवा जो पुस्तकालय शोध सन्दर्भ का कार्य अवर सचिव की ग्रनुपस्थिति में करते हों।

(घ) "पुस्तक" में पुस्तक, प्रतिवेदन, गजट, पत्रिका या ग्रन्य प्रकाशन सम्मिलित

हैं।

(ङ) "सन्दर्भ ग्रन्थ (रेफरेन्स बुक) का तात्पर्य किसी ऐसी पुस्तक यापुस्तक संग्रह से हैं जो ग्रपन विषयों के महत्व की दृष्टि से सचिव की सम्मति में

पुस्तकालय के बाहर जाने योग्य न हो,

व्याख्या -- विश्वकोश., शब्दकोश, अब्दकोश (इयर बुक) मानचित्र (एटलस) पत्र-पतिकाए, कला और चित्रकला संबंधी पुस्तकें एवं अन्य सचित्र पुस्तकें, जो ग्रन्थ कई भागों या खण्डों में प्रकाशित हों तथा सामान्य सन्दर्भ (रेफरेन्स बुक) और दुर्लभ ग्रन्थ पुस्तकालय तथा सदन में उपयोग किये जायेंगे किसी भी शर्ता पर वैसी पुस्तकें आवास के लिये निर्गत नहीं की जायेंगी।

- (च) शोध सहायक से तात्पर्य बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय के लिये नियुक्त शोध सहायक से हैं जो शोध सन्दर्भ-सेवा का कार्य करता हो,
- 3. अवर सचिव पुस्तकालय, अधीक्षक पुस्तकालय, प्रशाखा पदाधिकारी (पुस्त- किलय); शोध सहायक, सहायक पुस्तकाध्यक्ष तथा सूचीकार कोई अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में सदस्यों की सहायता करेंगे।

4. (क) सदस्य या राजपितत पदाधिकारी तथा स्थायी कर्मचारी, पुस्तक किसी सन्दर्भ-प्रन्थ बुक) या (रेफन्रेस विधि संहिता (लॉ कोड) को छोड़ ऐसो अवधि के लिये जो 15 दिन से अधिक का न हो, निर्गत करा सकते हैं, परन्तु सचिव, संगुक्त सचिव या पुस्तकालय के पदाधिकारी किसी पुस्तक को, जिसकी विशेष मांग हो, अवधि से पहले हो लौटाने की अपेक्षा कर सकते हैं।

(ख) पुस्तकों को दोबारा लिया जा सकता है, यदि ग्रन्थालय का उपयोग करनेवाले ग्रन्य व्यक्तियों ने उन पुस्तकों की मांगन की हो। इस प्रयोजन के लिए पुस्तकों को भौतिक इप से काउन्टर पर उपस्थापित करना ग्रपेक्षित होगा ग्रीर

पुनर्तिगम मात्र एक सप्ताह के लिए किया जा सकेगा।

(ग) जिन सदस्य (मंत्री सहित) के पास 30 दिनों से अधिक अवधि तक विधान-मंडल पुस्तकालय की कोई पुस्तक पड़ी हो, उन्हें कोई पुस्तक पुस्तकालय से निर्गत (ईशू) नहीं की जायगी। पुस्तक लौटाने के लिये 15 दिनों के अन्तरा पर तीन स्मार-पत्र पुस्तकालय द्वारा दिये जायेंगे। इस पर भी पुस्तक नहीं लौटाने पर उपाध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से पुस्तक लौटाने के लिये एक अर्द्ध-सरकरी पत्र दिया जायगा। फिर भी अगर पुस्तक नहीं लौटाई जाय तब संबंधित सदस्य वेतन से पुस्तकों के मूल्य की कटौती सभा साचवालय तथा परिपद् सचिवालय द्वारा निम्नलिखित रूप में की जायगी एवं मंत्रियों के वेतन से कटौती विस्त विभाग द्वारा की जायगी। "कटौती की गई राशि पुस्तक अय करने के लिए पुस्तकाल को लौटा दी जायगी।

कम सं 0 ।	प्रकाशन ।	वसूल की जाने वली राशि।
1	2	3
1 2	भारतीय पुस्तक।प्रकाशन गत पाँच वर्ष में मुद्रित भारतीय पुस्तक।प्रकाशन पाँच वर्ष से अधिक अवधि में।	मूल्य का डेढ़ गुना। मुद्रित मूल्य कादोगुना।
3	भारतीय पुद्धकाप्रकाशन जो मुप्रणवाहम हों	मूल्य का पांच गुना।
4	विदेशी प्रकाशन गत पाँच वर्ष में मद्रित	मूल्य का दोगुना।
5	विदेशी प्रकाशन पाँच वर्ष से अधिक अवधि में मुद्रित ।	मूल्य का तिगुना।
6	विदेशी प्रकाशन, जो मुद्रणवाहम हों	मूल्य का पांच गुना।
7	भारतीय ग्रथवा विदेशी प्रकाशन जिनका मूल्य	

परन्तु यदि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार पुस्तक।प्रकाशन का वास्तविक मूल्य लागत से अधिक हो तो सदस्य उतना मूल्य लिया जाएगा जितने में दूसरी पुस्तक खरीदी जाय।

- (घ) कोई सदस्य या विधान-गंडल के पदाधिकारी ग्रपने पास एक समय तीन से ग्रधिक पुस्तकों, बिहार विधान-गंडल के भूतपूर्व सदस्य एवं मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाता को दो पुस्तकों तथा स्थायी कर्गचारी एक से ग्रधिक पुस्तक, नहीं रख सकोंगे परन्तु कोई सदस्य परिषद् या सभी की गैठकों में संचालित कार्य के संबंध में ग्रमिक्षत सन्दर्भ-ग्रन्थ (रेफरेन्स बुक) याचना-पन्न पर निर्गत करा सकते हैं, उपबा यह हो कि बैठक समाप्त होते के बाद ग्रनिवाय रुप से उसी दिन वे ग्रन्थ पुस्तकालय में लोटा दियं जाये।
- (इ) पुस्तक निर्धत करानं के लिये एक मांग पुस्तिका (परिणिष्ट 1) पुस्तकालय में रहेगी तथा पुस्तक प्राप्त करने के लिये सदस्यों।राजपवित पदाधिकारियों तथा स्थायी कर्मचारियों को मांग पुस्तिका में हस्ताक्षर करना पड़ेगा।
- 5. (1) पुस्तकालय ें एक मुझाव पंजी रह शी जिसमें सदस्यों द्वारा दिय गय मुझावों सी अार पुस्तकालय के पदाजिकारी सगय-समय पर सचिव या संयुक्त सचिव का ध्यान स्नाकपित करेंगे।
- (2) पुस्तक।पुस्तकों लेने वालों के अधिकार में रहने पर यदि पुस्तकों विकृत हो गई हो या पार्श्व में लिख तर या रेखांकित पर विरुपित की गई हों या किसी। प्रकार से उन्हें नुकमान पहुंचाया गया हो तो इन सब अवस्थाओं की जानकारी सन्बन्धित व्यक्ति को आदात-प्रदान टेगुल से सम्बन्ध नर्मचारी करा देंगे तथा इनकी सूचाा पुस्तकालय के पदाधिकारी उसी दिन सचिव या संयुक्त सचिव को दे देंगे।

(3) जो पुस्त हापुस्तकों लोटाई न गई हों या विकृत की गई हों या खो गई हों, ऐसी अवस्था में, जो इसके लिये उत्तरदायी हों उसक संबंध में उचित सूचना देने के बाद सचिव के आदेश से पुस्तक।पुस्तकों का मृहय[नियम 4 (ग) के अनुमार] लिया जायगा,

- 6 । किसी भी अनजान व्यक्ति को गृन्थालय में पर्वेशांकरने की अनुमिति नहीं होगी जबतक की वह त्रिशान-गंडन के किसी सदस्य अथवा अधिकारा के साथ न आये।
- (7) एक संयुक्त पुस्तकालय समिति या संयुक्त पुस्तकालय उप-समिति या समितिया होंगी। जि.में बिहार विधान-परिषद् ग्रौर बिहार विधान-सभा के कमणः सभागित ग्र र ग्रध्यक्ष द्वारा मनोनंश्त कुछ सदस्य रहेंगे। यह समिति या उप-समितिया पुस्तक चयन तथा पुस्तकालय के सामान्य प्रबंध के सम्बन्ध में एक परामर्शदातृ समिति के रूप में कार्य करेंगी।
- 8। किसी वितीय वर्ष के ग्रन्त में पृस्तक अन्य की शीगृता से बचने कें लिये पस्तरों का लक्ष्य तथा कम सालों भर किया जायेगा।

- (9) किसी सदस्य को वाचनालय ग़ें पढ़ने के उद्देश्य से दी गई पुस्तकें।पुस्तकें पुस्तकालय से वाहर नहीं जानी चाहिये। वाचनालय को छोड़ने के पहले पुस्तक। पुस्तकों को पुस्तकालय ग्रें लौटा देना होगा। जबतक ऐसा नहीं किया जाता तबतक पुस्तक लेने वाले उन पुस्तकों के लिये उत्तरदायी होंगे। यदि कोई सदस्य वाचनालय से बाहर अपने उपयोग के लिये किसी पुस्तक को निर्गत कराना आवश्यक समझें तो नियम 4 (घ) के अनुसार ही निर्गत करा सकेंगे।
- (10) मं वियो।सदस्यो।राजपितत पदाधिकारियों तथा स्थायी कर्मचारियों के ग्रन्तिम व तन का भुगतान बिहार विधान-मंडल पुस्तकालय से मांग रहित मांग सिहत प्रमाण-पत की प्राप्ति के पश्चात् ही किया जायगा।
- (11) यदि कोई सदस्य ग्रन्थालय गें स्वयं ग्रागे गें समर्थ न हों, तो वे पुस्तकों, ग्रपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से गंगलवा सकेंगे परन्तु इसके लिये उन्हें एक प्राधिकार पत्र देना होगा। सदस्य पुस्तकों की सुरक्षा तथा उसकी वापसी के लिये स्वयं जिन्मेवार होंगे।
- (12) जिस किसी सदस्य को किसी ऐसी पुस्तक या ग्रन्य प्रकाशन की ग्राव-श्यकता हो जो किसी ग्रन्य व्यक्ति को दी जा चुकी है तो वे निग्रंत टेगुल (ईशू काउंटर) पर ग्रपने लिये उसे ग्रारक्षित करा सकेंगे, ग्रीर ऐसी पुस्तक तथा प्रकाशन सदस्यों को मांग के वरीयता-कम के ग्रनुसार दिया जायेगा।
- (13) प्रत्येक तीन वर्ष पर बजट सब्न के बाद पुस्तकों का स्टीक टेकिंग किया जायगा तथा उस ग्रवधि में पुस्तकों निर्गत नहीं की जायेंगी।
- (14) पुस्तकालय की पुस्तकों की सुरक्षा की जिम्मेलवारी पुस्तकालय के कर्मचारियों पर रहेगी।

परिशिष्ट-1।

	बि	हा	τ 1	व	a	न	-	मंग		1	9	Ŧ	त	Ŧ	Te	4	य	***	À	77527	g.	त	व		ल	नं	क	T	g	f	त	9	T	-	क	Τ:	प्रा	5	ч			
香井	संग	ध्या							•				•		•	•																										
सदस	य	क	T		ना	н		٠					٠	٠				•						.				٠	×				٠		٠	٠		٠	•	•	٠	•
क्षेत्र			•			0.5		়	•		্	*	: ·																													
दल								٠																																		

ग्रवधि	
सदस्य का हस्ताक्षर	
पुस्तकालययाध्यक्ष, विहार विवान- मंड ल पुस्तकालय, पटना ।	
	-
क्रम संख्या	
पुस्त ह देने की तिथि	
लेखक का नाम	٠
पुस्तक का नाम	
जमा पंजी की संख्या	•
सदस्य का हस्ताक्षर	*
पुस्तक लोटाने की तिथि	٠
प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर	·
ग्रन्य सूचना	

अधीशक राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, घटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक सचिवालय, मृहणालय, विहार, घटना द्वारा मृद्रित । विहार गज्य (प्रसाधारण), 357—लाईनो- -476---1000--अ0 कुमार